भारत सरकार

कार्यालय,आयकर आयुक्त,पटना ।

स.स.आ. आ./पटना/तक./12ए/2002-03/

दिनांक,पटना,

सेवा में,

Kushwaha Abhiyanta Forum

Jagdeo Path

Bailey Road, Patna

संस्था की स्थापना ट्रस्ट के दस्तावेज/संघ के दिनांक 15.11.92 के ज्ञापन द्वारा की गई है। आयकर अधिनियम,1961की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण हेतु दाखिल दिनांक 10-12-02 का आवेदन विहित प्रपत्र में है तथा अनुबद्ध ~~समय सीमा में~~ है/ समय सीमा से 09 वर्ष — महीना बाद का है । ~~चूंकि ट्रस्ट /संस्था द्वारा पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन के विलम्ब का पर्याप्त कारण था, इसलिए इसे विलम्ब से मुक्त कर दिया गया है~~/ विलम्ब का कारण नहीं दिखाया गया है / ~~संतुष्टिपूर्ण [illegible]~~ तदनुसार संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अन्तर्गत दिनांक 01-04-02 के प्रभाव से किया जाता है। धारा 12ए के अंतर्गत इस कार्यालय में निर्वाह किये गये आवेदन संबंधी रजिस्टर में वर्ष 2002-03 के क्रम स. 46 में इसकी प्रविष्टि कर दी गयी है ।

ह०
[गोपाल कमल]
आयकर आयुक्त, पटना ।

ज्ञापंक स.आ.आ./पटना/तक./12ए/2002-03/ 6157-59

दिनांक,पटना, 24.01.03

प्रतिलिपी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निर्धारण अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-1, पटना
2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त परिक्षेत्र-1/2,पटना ।
3. आवेदक । ✓

[बी.एन.बी. सिन्हा]
आयकर अधिकारी[तक.]
कृते आयकर आयुक्त,पटना

भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना

द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001.

आदेश

दिनांकः 26-07-2011

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पताः- कुशवाहा अभियन्ता फोरम
महादेव पथ मोड़, बेली रोड,
पटना - 800014 (पटना)

उपरोक्त संस्था को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तो का पालन किया गया हो ।

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति का निर्धारण वर्ष स्पष्ट लिखा हो ।

2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये ।

3. संस्था आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ(5) मे उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करे ।

4. यह कर मुक्ति निर्धारण वर्ष 2011-12 से मान्य है ।

Sd/-
(एस0 टी0 अहमद)
आयकर आयुक्त- 1, पटना

सं0 सं0 - आ.आ.-1/पटना/तक0/80 G/2011-12/562-65 दिनांक 04/08/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष कुशवाहा अभियन्ता फोरम, पटना को । संस्था के द्वारा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत किया गया था । अतः संस्था को कर मुक्ति की मान्यता निर्धारण वर्ष 2011-12 से प्रदान की जाती है ।

2. सहायक/उप आयकर आयुक्त, अंचल -1 पटना, उपरोक्त संस्था के बारे मे प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष अपनी टिप्पणी सहित अपने परिक्षेत्र के संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त के माध्यम से देंगे कि उक्त संस्था आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ(5) मे उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करती है या नही ।

3. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र -1 पटना ।

4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना

कार्यालय आयकर आयुक्त-I पटना

26/7/11
(रामचन्द्र राम)
आयकर अधिकारी (तक0)
कृते : आयकर आयुक्तः 1, पटना ।